बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–01, दिनांक–

सं०सं०–01 / श्रम०वि०स्था०(1)10–27 / 2023..... / श्र०सं०–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों (अराजपत्रित) को कॉलम–05 में अंकित श्रम अधीक्षक (राजपत्रित) पद (वेतन सहित) का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :–

क्र०	पदाधिकारी का नाम / आरक्षण कोटि	श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग (मूल कोटि) की वरीयता क्रमांक (औप० सिविल लिस्ट, 2026 के अनुसार)	वर्तमान कोटि / पद	अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी प्रभार (वेतन सहित) देने हेतु पदनाम एवं वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.
1	**श्री राकेश कुमार** अत्यंत पिछडा वर्ग	8	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी वेतन स्तर–7	श्रम अधीक्षक वेतन स्तर–9
2	**श्री गौतम कुमार** अनारक्षित	9	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी वेतन स्तर–7	श्रम अधीक्षक वेतन स्तर–9

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्यधीन है।

3. अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उनके नाम के सामाने स्तंभ–05 में अंकित पद एवं वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–01 / श्रम वि०स्था०(1)10–27 / 2023.....46..... / श्र०सं०, पटना–01, दिनांक–30/10/26

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / मा० मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना / श्रमायुक्त, बिहार, पटना / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / अधिसूचना में अंकित सभी पदाधिकारियों तथा आई०टी० / प्रबंधक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/10/2026

सरकार के विशेष सचिव

Arun Sir Letter